(110)

I/निगरानी/टीकमगढ/भू-रा/2017/2129

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–टीकमगढ़

1– आत्मा राम पुत्र श्री किशोरे रायकवार
2– लडैती बेवा किशोरे रायकवार
निवासीगण– शक्ति भैरो तहसील निवाडी जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

...........आवेदकगण

विरूद्ध

1– भरतराम रायकवार पुत्र श्री संतोष कुमार
2– ज्योति पत्नी संतोष रायकवार
निवासीगण– शक्ति भैरो तहसील निवाडी जिला – टीकमगढ (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

श्री .... आज दि. 07.7.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 7.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 463/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, नामान्तरण पंजी क्रमांक 6 ग्राम शक्ति भैरो के आदेश दिनांक 09.01.2003 ग्राम पंचायत शक्ति भैरो के प्रस्ताव क्रमांक 8 से वारिसाना के आधार पर नामान्तरण किया गया है। जो विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। किन्तु उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के समक्ष प्रकरण क्रमांक 463/2015–16 प्रस्तुत की गयी थी।

2– यहकि, अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्पष्टतः अवधि बाह्य थी। क्योंकि वह अत्यधिक समय बाद प्रस्तुत की गयी थी जिसके साथ परिसीमा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2129 आत्माराम **विरूद्ध** भरतराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी निवाडी के प्रकरण क्रमांक 463/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-07-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया	

जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.12-18
सदस्य